न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/39/2024 वाद

दायर दिनांक 15.04.2024

उनवान

1. कैलाशचंद्र पिता भूरालाल जाति भील आयु वयस्क निवासी भट्टों का बागनीया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

1. भागीरथ पिता भैरू भील आयु वयस्क निवासी गाडरीयावारा उर्फ सिद्धपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. मोतीलाल पिता भैरू भील आयु वयस्क निवासी गाडरीयावारा उर्फ सिद्धपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. संगीता कुमारी गमेती पत्नी कैलाश चंद्र जाति भील, आयु वयस्क निवासी भट्टों का बामनीया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह जादव —वादी
एकतरफा —प्रतिवादी सं0 1 से 3

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 17.09.2025

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की आराजीयात मौजा निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 292 के हाल आराजी नम्बर 602, 605, 606, 607, 608, 613, 617, 618, 619, 621, 622, 623 कुल किता 12 कुल रकबा 5.88 हैक्ट0 दर्ज राजस्व रेकार्ड है। जिसमें मुझ वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर अपने हिस्से पर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग कर रहा है। अतः प्रार्थना है कि—

— पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवाडा आराजीयात की डिक्री इस आशय की फरमाई जावें कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादगत आराजीयात का विधिक रूप से खाता संख्या 292 में 75/392 हक हिस्सा वादी के हक हिस्से कब्जे के अनुसार विभाजन करा वादी का खाता संख्या 292 में 75/392 हक हिस्सा तदनुसार लगान जमाबन्दी अलग कायम करा अलग खातेदार काश्तकार बनाया जावें।

— अन्य कोई दाद मुफिद जो न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाई जावें व हर्जा खर्चा वकील मेहनताना प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से आज दिनांक 07.02.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।
उक्त वाद पत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 05.08.2025

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

प्रस्तुत की गई। जो शा०फा० की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 17.09.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 292 के हाल आराजी नम्बर 602, 605, 606, 607, 608, 613, 617, 618, 619, 621, 622, 623 कुल किता 12 कुल रकबा 5.88 हैक्ट० स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 05.08.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. कैलाश चन्द्र पुत्र भुरालाल जाति भील हिस्सा पूर्ण सा० भट्टो का बामनिया

क.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	608	1.06	बारानी 1
2	607	0.06	बी० 1
योग	कुल किता–02	1.12	

2. संगीता कुमारी गमेती पत्नी कैलाश चन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति भील सा० भट्टो का बामनिया

क.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	606	1.00	बी० 1
2	602/2	0.13	बारानी 2
योग	कुल किता–02	1.13	

3. भागीरथ पुत्र भैरू हिस्सा 49/242 जाति भील सा० देह खातेदार, मोतीलाल पुत्र भैरू हिस्सा 193/242 जाति भील सा० देह खातेदार,

क.स.	आ०स०	रकबा (है०)	किस्म
1	605	0.48	बी 1
2	602/1	0.43	बारानी 2
3	613	1.09	चाही 4
4	617	0.02	आ० चा०
5	618	0.80	बारानी 2
6	619	0.07	रास्ता
7	621	0.01	आ०चा०
8	622	0.68	बी० 2
9	623	0.05	रास्ता
योग	कुल किता–09	3.63	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन